

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P. Power Corporation Limited
 (Govt. of U.P. Public Enterprise)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-22-विनियम एवं औस/पाकालि-2011-9-विनियम/2001 (टी०सी०)

दिनांक 09 मई, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.04.2011 को सम्पन्न हुई 86वीं बैठक में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975 (यथासंशोधित) में संशोधन हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व में जारी एवं निम्न स्तम्भ-1 में अंकित कार्यालय ज्ञाप संख्या-2797-औ०स०-17/पाकालि/03-27-एफ०/80 टी०सी० दिनांक 06.06.2003 के वर्तमान प्राविधानों को आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

स्तम्भ-1 (वर्तमान प्राविधान)	स्तम्भ-2 (प्रतिस्थापित प्राविधान)
कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3880-औ०स०-17-पाकालि/2000-27-एफ०/80 दिनांक 22.12.2000 के अनुक्रम में पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मृतकाश्रितों की नियुक्ति श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत), एवं कार्यालय सहायक-तृतीय के साथ-साथ मात्र महिला आश्रितों (आवेदक) की नियुक्ति चपरासी पद पर भी किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।	कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3880-औ०स०-17-पाकालि/2000-27एफ०/80 दिनांक 22.12.2000 के अनुक्रम में पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मृतकाश्रितों की नियुक्ति श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत), कार्यालय सहायक-तृतीय, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (कारपोरेशन मुख्यालय हेतु) के साथ-साथ मात्र महिला आश्रितों (आवेदक) की नियुक्ति चपरासी पद पर भी किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- संगत नियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-22-(1)-विनियम एवं औस/पाकालि-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

कमश.....2

- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित/महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन)/सलाहकार (औस/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 10- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 86वीं बैठक दिनांक 27.04.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- ✓ 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए जाने हेतु।
- 12- पत्रावली संख्या-27-एफ0/80 ।


(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)